भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.175

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024, आषाढ़ 31, 1946 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी क्षतिपूर्ति

+175. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य से कुल कितना माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राशि का संग्रहण किया गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को जारी की गई माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक राज्य को जारी की जाने वाली माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की लंबित राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की कर्नाटक राज्य को माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की पूरी राशि जारी करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2024-25 (जून, 2024 तक) तक कर्नाटक राज्य से एकत्रित घरेलू जीएसटी आयात पर आईजीएसटी के अलावा, जिसके लिए राज्यवार आंकड़ों की रखरखाव नहीं किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी**	**आईजीएसटी**	**उपकर**
2017-18	10,226	14,696	16,597	6,619
2018-19	17,316	23,416	27,950	10,079
2019-20	19,824	26,472	27,667	9,446
2020-21	18,187	23,237	26,714	7,521
2021-22	22,697	28,660	35,101	9,468
2022-23	28,448	35,429	45,602	13,342
2023-24	33,321	40,969	54,123	16,852
2024-25 (जून 24, तक)	9,558	11,657	14,698	4,344
कुल	**1,59,578**	**2,04,537**	**2,48,452**	**77,672**

(ख) और (ग): केंद्र ने पांच वर्ष अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक माल और सेवा कर के लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से उत्पन्न अंतिम क्षतिपूर्ति को महालेखा परीक्षक (एजी) के प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद जारी कर दिया जाता है। कर्नाटक राज्य को वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम/शेष क्षतिपूर्ति भी जारी कर दिया गया है। अतः, कर्नाटक राज्य को जारी करने के लिए कोई राशि लंबित नहीं है। कर्नाटक राज्य को वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण और जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्नाटक को वितरित ऋण का विवरण नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**जीएसटी मुआवज़ा**	**एक के बाद एक ऋण**	**कुल**
2017-18	7,670	-	7,670
2018-19	12,465	-	12,465
2019-20	18,463	-	18,463
2020-21	19,301	12,407	31,708
2021-22	9,877	18,109	27,986
2022-23 (अप्रैल-जून, 2022)	7,966	-	7,966
कुल	**75,742**	**30,516**	**1,06,258**

(घ) एवं (ङ): उपर्युक्त (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

******